International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 15-04-2023, Accepted: 29-04-2023, Published: 15-05-2023
Volume 9, Issue 3, 2023, Page No. 21-23

भारतीय समाज में लैंगिक असमानताः कारण एवं समाधान

निशा
पीएचडी, शोधार्थी अर्थशास्त्र, साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
प्रस्तुत लघु शोध पत्र में भारतीय समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता की समस्या का अध्ययन किया गया है। भारतीय समाज में महिलाओं को देवी के समतुल्य रखा गया है लेकिन वास्तव में मनुष्य भी नही समझा जाता है और न ही उनको पूर्ण रूप से मानवीय अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता की वास्तविकता अत्यन्त ही जटिल एवं विविधतापूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा, रोजगार के अवसर एवं उपलब्धता, आय, स्वास्थ्य, पोषण, निर्णय क्षमता, सामाजिक – सांस्कृतिक विषयों इत्यादि जैसे प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को असमानता का सामना करना पडता है। लैंगिक समानता का अभाव न मात्र संसाधनों और अवसरों तक महिलाओं की पहुँच को सीमित करता है वरन् भावी पीढी के विकास को भी क्षति पहुँचा रहा है। लैंगिक असमानता का मुख्य कारण भारतीय समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक है। वर्तमान में शिक्षाके विकास ने इस मानसिकता को परिवर्तित किया है क्योकि जनगणना वर्ष 2011 में भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत रही जिससे महिलाओं के व्यवहार में आई जागरूकता का अनुमान लगाया गया । सरकार ने महिलाओं के उत्थान हेतू अनेको कानून लागू किए, आरक्षण प्रदान किया तत्पश्चात पुरूषों की तुलना में मात्र 3 प्रतिशत महिलाएं ही विधिक प्रबन्धन एवं वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। अतः प्रस्तुत लघु शोध पत्र में लैंगिक असमानता की समस्या का परीक्षण करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकिया में, लेख में न मात्र समस्या की सीमा, कारणों और परिणामों पर चर्चा करता है, बल्कि भारत में लैंगिक असमानता को समाप्त करने हेतू नीतिगत उपाय भी बताता है।

मूल शब्दः लैंगिक असमानता, शिक्षा, समाजीकरण, पितृसत्ता

भारत में लैंगिक असमानता पुरूषों और महिलाओं के मध्य स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और राजनैतिक असमानताओं को सन्दर्भित करती है, विभिन्न अन्तराष्ट्रीय लैंगिक असमानता सूचकांग भारत को इनमें से प्रत्येक कारक के साथ – साथ समग्र आधार पर पृथक– पृथक स्थान प्रदान करते हैं, और यह सूचकांग विवादास्पद हैं। लैगिक असमानता के असमानता के सामाजिक कारण भारत के लिंगानुपात, महिलाओं के स्वास्थ्य, जीवनकाल, शिक्षा प्राप्ति और उनकी आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। भारत में लैंगिक असमानता एक बहुआयामी मुद्दा है जो वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है। वर्तमान में लैंगिक असमानता सम्बन्धित अध्ययन मात्र किसी एक देश का विषय नही रहा बल्कि अब यह एक अर्न्तराष्ट्रीय मुद्धा बन चुका है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के युग ने समस्त देशों की समस्याओं को एकमत कर दिया है।

समानता का अधिकार समाज के विकास हेतू वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर लैगिक समानता क्या है ? क्यों यह किसी भी समाज और राष्ट्र के लिये एक मूलभूत तत्व बन गया है ? क्या वास्तव में यह बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह प्रांसगिक है ? लैंगिक समानता का अर्थ मात्र इतना नही है कि प्रत्येक सामाजिक प्राणी का लिंग समान हो बल्कि लैंगिक समानता का अर्थ समाज में समस्त प्राणियों को समान अधिकार, दायित्व, रोजगार के अवसर एवं समान आय प्राप्ति से है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सितम्वर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंडा 2030 के अर्न्तगत 17 सतत् विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया गया जिस पर भारत सहित 193 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। इन 17 लक्ष्यों के अर्न्तगत लक्ष्य 5 मुख्य रूप से लैंगिक समानता प्राप्त करना रखा गया। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लिंग के आधार पर महिलाओं को पुरूषों की तुलना में दुर्बल रू॰ मे देखने से है। महिलाओं के घर, समाज, दोहरे व्यवहार, शोषण, अपमान और भेदभाव का सामना करना पडता है। पुरूषों शिक्षा प्राप्ति, स्वं निर्णय, समाजीकरण, राजनीति, सास्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकता प्राप्त है परन्तु महिलाएं आज भी भारतीय समाज में पराधीन हैं।

प्रत्येक मानव को अधिकार है कि उनको अपनी पूर्ण क्षमता विकास के अवसर प्राप्त हो किन्तु लैगिंक असमानता की कुरीति के कारण वह सही ढंग से पोषित नही हो पाते। भारत में लैंगिक असमानता का प्रभाव अवसरों पर भी पडता है जिसका मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है जिसमें 82.14 प्रतिशत पुरूषों की एवं 65.46 प्रतिशत महिलाओं की साक्षरता दर है। आंकडों से स्पष्ट है कि भारत देश में महिलाओं का शैक्षिक स्तर अत्यन्त ही निम्न है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकडों के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत की कुल साक्षरता दर 77.30 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 84.70 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 70.30 प्रतिशत आकलित है। इन आंकडों से स्पष्ट है कि पुरूष एवं महिलाओं की साक्षरता दर के मध्य 14.4 प्रतिशत का वृहद अन्तर है जो भारतीय समाज में महिलाओं के निम्न शैक्षिक स्तर को दर्शाता है।

महिलाओं की स्थिति पर ध्यान केन्दि्त करते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने लिखा है कि, "किसी भी देश की उन्नति का पता उस देश महिलाओं की उन्नति से लगाया जा सकता है।" शिक्षा वह आयाम है जो महिलाओं का सर्वाग्रीण विकास करता है शिक्षा महिला महिला एवं विकास को जोडने वाली महत्वपूर्ण कडी है। यह तथ्य प्रमाणिक रूप से सही है कि यदि एक महिला को शिक्षित किया जाए तो वह पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है।

महिलाओं के साथ भेदभाव उनके जन्म के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है जो उनके सम्पूर्ण जीवन काल तक चलती रहती है । भारतीय सामाजिक परिवेश में नित्य घटित होने वाली कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार की घटनाएं यह साबित करती हैं कि यह संसार

महिलाओं के लिए कितना क्रूर है। लैंगिक असमानता की समस्या के कारण समाज में लगभग समस्त महिलाओं को पुरूषों द्वारा छेडछाड का सामना करना पडता है, कुछ को दुर्भाग्यपूर्ण यौन शोषण एवं बलात्कार जैसी घटनाओं का सामना करना पडता है। किसी भी देश एवं समाज के विकास हेतू महिला एवं पुरूष समान रूप से आवश्यक हैं। यदि कोई एक पक्ष दुर्बल होगा तो उन्नति संभव नही है।

शोध उद्वेश्य

प्रस्तुत लघु शोध पत्र का मुख्य उद्वेश्य भारतीय समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता की समस्या एवं कारण, लैंगिक असमानता किस प्रकार शिक्षा से सम्बन्धित है एवं भारत में शिक्षा के प्रोत्साहन से महिलाओं की समानता सम्बन्धित तथ्यों का अध्ययन करना है।

अनेक पुस्तकों एवं शोध पत्रों में लैंगिक असमानता एवं सम्बन्धित विषय जैसे कि महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पितृसत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया –

पाठक, सुमेधा (1986) ने अपनी पुस्तक 'लिंग, विद्यालय और समाज' में लैंगिक असमानता से सम्बन्धित मुद्वों को कुल पॉच इकाइयों में विभक्त किया जिनमें क्रमशः लैंगिक मुद्वे, लिंग की भूमिका, लिंग और शिक्षा, पाठ्यक्रम एवं विद्यालय में शैक्षिक समानता, बदलाव की रणनीति जैसे विषयों पर विस्तृत विवरण तर्क संगत तथ्यों के साथ उपस्थित है।

भार्गव, वंदना (2016) के शब्दों में शिक्षा वह शस्त्र है जो मानव और पशु के मध्य अन्तर को दर्शाया है । अशिक्षित मानव पशु की भॉति ही है। भारतीय समाज मे मात्र पुरूषों को शिक्षित करना अनिवार्य समझा जाता है और महिलाओं को पशुओं के समकक्ष रखते हुए उनको अशिक्षित रखा जाता है और दुर्व्यवहार किया जाता है ।

रानी, डॉ उषा (2016) ने अपनी पुस्तक ' महिला सशक्तिकरण' में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन किया है । उन्होने बताया कि महिलाओं की असमानता की स्थिति सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है । आज सम्पूर्ण विश्व में महिला आन्दोलन ने एक सशक्त भूमिका प्राप्त कर ली है। बीसवी शताब्दी में महिलाओं पर दमन को समाप्त करने के प्रयासों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी प्राप्त कर ली है।

रामासामी, ई.वी. पेरियार (2020) ने अपनी पुस्तक 'जाति व्यवस्था और पितृसत्ता' मे अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है कि जाति और पितृसत्ता की प्रथा को समाप्त किए बिना आधुनिक समाज का निर्माण असम्भव है। पेरियार के लेख से यह स्पष्ट होता है कि समाज के विकास हेतू स्त्री पुरूष के मध्य समानता होना अत्यन्त आवश्यक है।

शोध विधि

प्रस्तुत लघु शोध पत्र द्वितीयक आंकडों जैसे कि पत्र– पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रिपोर्ट (वार्षिक, अध्दवार्षिक), एवं इन्टरनेट की सहायता से अन्वेशित किया गया है ।

लैंगिक असमानता के प्रकार

लैंगिक असमानता समाज में अनेक रूपों में विद्यमान रहती है। अर्थशास्त्र मे नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने लैंगिक असमानता को सामान्यतः निम्नलिखित सात रूपों में व्यक्त किया है –

1. मृत्यु –दर में असमानता
2. प्रासुतिक रूप में असमानता
3. मौलिक सुविधा सम्बन्धी असमानता
4. विशेष अवसर सम्बन्धी असमानता
5. व्यावसायिक असमानता
6. स्वामित्व असमानता
7. घरेलू असमानता

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता के कारण

भारतीय समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता की समस्या के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं–

1. पितृसत्तात्मक मानसिकता

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता का मुख्य कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। प्रसिध्द समाजशास्त्री सिल्विया वाल्वी के अनुसार, 'पितृसत्ता सामालिक संरचना और प्रथाओं की प्रणाली है जिसमें पुरूष महिलाओं पर हावी होते हैं उनका दमन एवं शोषण करते हैं'। पितृसत्ता को भारतीय समाज में धार्मिक अंधविश्वास में अपनी वैद्यता और स्वीकृति प्राप्त है, चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, या कोई अन्य धर्म हो।

2. पुत्र वरीयता

भारतीय समाज में परिवार का मुखिया, पालक पोषक एक पुरूष को ही समझा जाता है। मनु के अनुसार, 'बाल्यकाल में महिलायें अपने पिता के संरक्षण में, शादी के बाद अपने पति के एवं वृध्दावस्था एवं विधवा होने की स्थिति में वह अपने पुत्र के संरक्षण में जीवन–यापन करती है'। किसी भी स्थिति में उसे इसकी अनुमति प्राप्त नही होती कि वह स्वतंत्र रूप से स्वेच्छानुसार जीवन यापन कर सकें।

3. सम्पत्ति पर स्वामित्व

पिता की सम्पत्ति पर मात्र पुत्रों का स्वामित्व माना जाता है । वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पिता की सम्पत्ति पर पुत्रियों का भी समान अधिकार है उसके बाद भी पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति पर कोई स्वामित्व प्राप्त नही है। पुत्रों को ही घर का चिराग माना जाता है।

4. वंश वृध्दि

पितृसत्ता के कारण भारतीय समाज में यह माना जाता है कि मात्र पुत्र की संतान से ही वंश वृध्दि सम्भव है जबकि पुत्री तो किसी अन्य के वंश वृध्दि में सहयोगी होगी।

5. पुत्री को पराये घर का धन समझना

भारतीय समाज की परम्परा के अनुसार विवाह के पश्चात पुत्री पति के घर निवास करती है । इसलिए पुत्र का होना अनिवार्य माना जाता है।

6. स्त्री को दुर्बल वर्ग के रूप में देखना

ऐसी मानसिकता है कि समाज मे महिला अकेले अपना जीवन यापन नही कर सकती। और न ही अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है। जैसा कि एक पुरूष कर सकता है। प्रकृति ने महिला को शारीरिक रूप से पुरूषों की तुलना में कमजोर बनाया है । लेकिन समाज ने स्त्री को मानसिक रूप से पंगु बना रखा है।

7. दहेज प्रथा

लैगिक असमानता को बढावा देने में यह मुख्य भूमिका निभाता है। निर्धन माता पिता जब अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए दहेज नही जुटा पाते तो उनकी पुत्रियों को योग्य वर नही मिल पाता यदि कही विवाह हो भी जाए तो विवाह के पश्चात उनको दहेज के लिए प्रताडित किया जाता है।

लैंगिक असमानता के विरूध्द कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक सभी महिलाओं के विकास पर केन्द्रित है। अनुच्छेद 14 के

अनुसार महिलाओं को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 (1) में यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव नही करेगा। अनुच्छेद 15(3) में महिला एवं बालकों के हित में विशेष प्रावधान लागू किया। इसके अतिरिक्त राज्य के निति निर्देशक सिध्दान्त भी विभिन्न प्रावधान प्रदान करते हैं जो महिलाओं के लाभ के लिए हैं एवं भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं । महिलाओं के शोषण को समाप्त करने और उन्हे समाज में समानता दिलाने हेतू संसद द्वारा विभिन्न सुरक्षा कानून भी पारित किए गये जिनमें से प्रमुख निम्न प्रकार है –

1. अनैतिक व्यापार निषेध कानून, 1956
2. दहेज निषेध कानून, 1961
3. महिला अमर्यादित चित्रण निषेध कानून 1986
4. सती निषेध कानून 1987
5. घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2005
6. कार्यस्थल पर महिला दुराचार निषेध कानून 2013

लैंगिक असमानता सूचकांग 2022

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2022 के लिए जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया। जिसमें भारत को 135वॉ सीान प्राप्त हुआ। पूर्व वर्ष 2021 में भारत को 140वॉ स्थान प्राप्त हुआ था। भारत का समग्र स्कोर 0.625 (2021) में सुधर कर 0.629 हो गया है, जो पिछले 16 वर्षों में सातवॉ उच्चतम स्कोर है। इस सूचकॉग में प्रथम स्थान आइसलैंड द्वितीय स्थान पर फिनलैंड तृतीय नॉर्वे चतुर्थ न्यूजीलैंड तथा पॉचवें स्थान पर स्वीडन रहा।

लैंगिक असमानता को समाप्त करने में शिक्षा का महत्व

लैंगिक असमानता की स्थिति को समाप्त कर सामाजिक परिवेश में लैंगिक समानता की स्थिति लाना सम्पूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। समाज के प्रत्येक क्षूत्र में परिवार, गली, विद्यालय, खेल के मैदान में लैंगिक असमानता परिलक्षित होती है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो समाज में पुरूषों का ही बोलबाला है जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण आयाम शिक्षा है। प्राचीन काल में बालिकाओं को भी बालकों के भांति शिक्षा प्रदान की जाती थी शास्त्रों के साथ– साथ उनको शस्त्र शिक्षा भी अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती थी। धीरे धीरे बालिका वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा । उसके लिए घर की चार दीवारी का दायरा ही जीवन यापन के लिए सुनिश्चित किया गया एवं विवाह और चूल्हा चौका ही एकमात्र संस्कार निर्धारित किया गया । वर्तमान में स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन आज भी समस्या ने अपनी जडें जमायी हुई हैं। महिला शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख समस्या यह है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोडने की दर अत्यधिक है जिससे ज्यादातर बालिकाएं उच्च शिक्षा तक पॅहुच ही नही पाती और न ही अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर पाती हैं। राष्ट्रीय साख्यिकी कार्यालय के ऑकडों के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत की कुल साक्षरता दर 77.70 प्रतिशत आकलित है जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 84.70 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 70.30 प्रतिशत रही। जिसके मध्य 14.4 प्रतिशत का अन्तर व्याप्त है जबकि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार देश मे कुल 76.34 करोड लोग साक्षर है। इनमें से 43.46 करोड पुरूष हैं और 32.88 करोड महिलाएं हैं जिनके मध्य 10.58 प्रतिशत है। जबकि समग्र साक्षरता दर 72.09 प्रतिशत है जिसमें से पुरूष साक्षरता दर 80. 89 प्रतिशत है और महिलाओं की साक्षरता दर 64.64 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय स्तर पर 16.25 प्रतिशत का अन्तर दर्शाता है।

भारत में लैंगिक असमानता कों समाप्त करने हेतू सुझाव

भारतीय समाज में महिलाओं से सम्बन्धित समस्याएं मुख्य रूप से सामाजिक संरचना से सम्बन्धित है। पितृसत्तात्मक एवं पुरूष प्रधान समाज में जब तक संरचनात्मक परिवर्तन नही किए जाएगें तब तक महिलाओं की स्थिति में कुछ स्थायी सुधार नही आयेगा। लैंगिक असमानता के समाधान हेतू अग्रलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं–

1. महिला सहायता समूह की सहायता से एक भारतीय स्त्री अधिनियम पारित हो जो विवाह, उत्तराधिकारी, सम्पति आदि पर स्पष्ट आदेश प्रदान करे जो समस्त महिलाओं के लिए समान रूप से लाभदायक हो।
2. महिला शिक्षा न मात्र अनिवार्य की जाए वरन् निर्धन कन्याओं को छात्रवृति, छात्रावास, निशुल्क यातायात की सुविधा प्रदान की जाए । महिला शिक्षा का उद्देश्य महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए ।
3. महिलाओं में अधिक से अधिक रोजगार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए इसके लिए सरकार को आरक्षण व सुरक्षात्मक नीति अपनानी चाहिए।
4. महिलाओं कों सीानीय स्तर पर अपने संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उनके संगठनों को सहायता दी जानी चाहिए ।
5. दहेज प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए।
6. महिला सशक्तिकरण को बढावा देने वाली नीतियों एवं नीतियों को अपनाना एवं उनका अनुसरण करना ।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में लैंगिक असमानता की समस्या अपनी चरम सीमा पर है। राष्ट्र में धार्मिक समुदायों द्वारा निर्मित कानून जो विवाह, विवाह–विच्छेद, उत्तराधिकारी एवं बालकों के अभिभावात्मक जैसे मामलों में महिलाओं को मात्र भेदभाव, असमानता का सामना करना पडता है। बात चाहे महिला के स्वास्थ्य की हो शिक्षा की हो या फिर उसकी स्वतन्त्रता, इच्छाओं, आवश्यकताओं की हो, उसको प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों ही प्राप्त होता है। सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए अनेक प्रावधान किए। परन्तु महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं लैंगिक असमानता की समस्या को जड से मिटाने का एकमात्र उपाय शिक्षा ही है।

सन्दर्भ सूची

1. पाठक, डॉ सुमेधा, (1986), लिंग, विद्यालय और समाज, प्रकाशकः नीलकमल बुक, आईएसबीएनः 978–93–95368–02–5
2. हन्फी, एम. ए, (2016), स्त्री शिक्षा, प्रकाशकः श्री विनोद पुस्तक भण्डार, आगरा
3. भार्गव, वंदना, (2016), स्त्री शिक्षा का महत्व
4. www.swadesh.news
5. रानी, उषा, (2016), महिला सशक्तिकरण, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, आईएसबीएनः 978817453490
6. रामासामी, ई.वी. पेरिवार (2020), जाति–व्यवस्था और पितृसत्ता, राधाकृष्णन प्रकाशन, दिल्ली, 978–8183619615
7. महाजन, धर्मवीर एवं महाजन, कमलेश (2018), समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, आईएसबीएनः 978–81–7004–296–8
8. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
9. Batra R, Reio Jr, TG. Gender inequality issues in India.Advances in Develoing Human Resourse,2016:18(1):88-101.
10. https://www.unicef.org/india/hi/what-we-do/gender-equality
11. https://www.findeasy.in/indianstate-by-literacy-rate/
12. https://www.google.com/amp/s/www.jagran.com/lite/jharkhand/ranchi-10892491,html